न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

**पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.**

पत्रावली संख्या : 39/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

**बैंक ऑफ बड़ौदा** जरिये प्राधिकृत अधिकारी धमेन्द्र कुमार सांरगी स्टेशन रोड़ शाखा, सीकर 332001

–**प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)**

**बनाम**

1. **अमित कुमार जाखड़ पुत्र ओम प्रकाश जाखड़** निवासी वार्ड नं. 11 दासा की ढ़ाणी गोकुलपुरा सीकर राजस्थान 332001

–**अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)**

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**स्वीकृति आदेश**

**दिनांकः 20 अप्रैल, 2026**

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री अजय यादव** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी **अमित कुमार जाखड़ पुत्र ओम प्रकाश जाखड़** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की **चल सम्पत्ति कार हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड मॉडल का नाम क्रेटा 1.5 CRDI MT SX निर्माण का महीना एवं साल 10/2022 रजिस्ट्रेशन नं. RJ23CG0016 इंजन नं. D4FANM692828 चेसिस नं. MALPC813LNM404503 कलर पोलर व्हाइट 2 का दृष्टिबंधक** है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹14,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये चौदह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **11.09.2025** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **11.09.2025** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी **अमित कुमार जाखड़ पुत्र ओम प्रकाश जाखड़** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की **चल सम्पत्ति कार हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड मॉडल का नाम क्रेटा 1.5 CRDI MT SX निर्माण का महीना एवं साल 10/2022 रजिस्ट्रेशन नं. RJ23CG0016 इंजन नं. D4FANM692828 चेसिस नं. MALPC813LNM404503 कलर पोलर व्हाइट 2 का दृष्दिबंधक** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

**होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

**6.** आदेश आज दिनांक **20 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर